



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 10.04.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को 01 अदद मोबाईल फोन LAVA कम्पनी व 01 अदद मोटर साइकिल न0 UP 76 AP 7466 (स्पेलंडर) सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.04.2024 को मु0अ0सं0 60/24 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1. साहिल सिंह पुत्र भंवरपाल 2. हर्षित सिंह पुत्र मानसिंह निवासीगण ग्राम पूरनपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गया 01 अदद मोबाईल फोन LAVA कम्पनी व घटना में शामिल वाहन सं0 UP 76 AP 7466 मोटर साइकिल (स्पेलंडर) को बरामद किया। माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोतरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07.04.24 को काली नदी चैक पोस्ट पर 02 अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा वादी ओमप्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी हंसापुर, नंगला फार्म गौरईपुर थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ का मोबाइल फोन छीन कर भाग गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 60/24 धारा 392 भादवि बनाम 1. साहिल सिंह पुत्र भंवरपाल 2. हर्षित सिंह पुत्र मानसिंह निवासीगण ग्राम पूरनपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम दोनो लोग मिलकर रास्ते में आने-जाने वाले राहगीरो से मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते है। जिसको बेचकर हम अपना खर्चा चलाते है। दिनांक 07.04.24 को हम दोनो लोग मोटर साइकिल से काली नदी चैक पोस्ट के पास से एक मोटर साइकिल सवार से उसका मोबाइल फोन छीन कर छिबरामऊ की तरफ भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. साहिल सिंह पुत्र भंवरपाल निवासी ग्राम पूरनपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2. हर्षित सिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम पूरनपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद मोबाईल फोन LAVA कम्पनी रंग नीला, 01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP 76 AP 7466 स्पेलंडर (रंग काला)

अभियुक्त साहिल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 60/24 धारा 392/411 भादवि0 थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त हर्षित सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 60/24 धारा 392/411 भादवि0 थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस :-

1. प्रभारी निरीक्षक भोलेन्द्र चतुर्वेदी थाना जहानगंज
2. उ0नि0 अच्छेलाल पाल थाना जहानगंज
3. का0 अंकित कुमार थाना जहानगंज
4. का0 नईम खान थाना जहानगंज

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक-10.04.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मिथुन पुत्र गिरजाशंकर निवासी पुलमण्डी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०-441/2019 वाद स०- 922/2023 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोर्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 10.04.2024 को मा० न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष 05 माह का कारावास व 05 हजार रुपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री शीलेश कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० नरेन्द्र सिंह





